



HAMIRPUR POLICE



थाना बिवांर

दिनांक-29.11.2022

थाना बिवांर अंतर्गत अवैध तमंचा/कारतूस के साथ 02 हिस्ट्रीशीटर

अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत द्वारा जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.11.2022 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के मजारिया हिस्ट्रीशीटर नं0 80A अभियुक्त 1)करन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन व अभियुक्त 2)सज्जन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन निवासीगण ग्राम निवादा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिवांर मु0अ0स0-278/22 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1)हिस्ट्रीशीटर नं0 80A अभि0 करन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन नि0 ग्राम निवादा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर
- 2)सज्जन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन नि0 ग्राम निवादा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:

- 1)एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर अभि0 सज्जन सिंह से
- 2)दो जिन्दा कारतूस 315 बोर अभि0 करन सिंह से

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सज्जन सिंह -

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
01)	215/2004,324/504/506/427	I.P.C	बिवांर	06) 214/14 110 G CrPC बिवांर
02)	608/09 60	EX ACT	बिवांर	07) 161/16 452/354ख I.P.C बिवांर
03)	243/10 60	EX ACT	बिवांर	08) 239/18 3/25 A ACT बिवांर
04)	294/10 25	A ACT	बिवांर	09) 30/17,10 UP G. ACT बिवांर
05)	347/12 25	A ACT	बिवांर	10) 264/16 3 UP G. ACT बिवांर
				11) 278/2022, 3/25 A.ACT बिवांर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त करन सिंह-

क्र०सं०	मु०अ०सं	धारा	थाना		
1.	198/15	8/20 NDPS ACT	बिवांर	8.	185/05 110 G CrPC
2.	23/12	8/20 NDPS ACT	बिवांर	9.	445/07 379/411 I.P.C
3.	285/12	3 UP GUNDA ACT	बिवांर	10.	531/09 2/3 गैंगस्टर एक्ट
4.	196/12	25 A ACT	बिवांर	11.	474/09, 323/324/325 I.P.C
5.	170/2022	323/325 I.P.C	बिवांर	12.	680/09 307 I.P.C
6.	161/2004	25 A ACT	बिवांर	13.	682/09 25 A ACT
7.	257/04	25 A ACT	बिवांर	14.	278/2022, 3/25 A ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1) उ०नि० विजय कुमार मिश्र	3) का० नरेन्द्र सिंह
2) उ०नि० दिनेश कुमार सिंह	4) का० आशीष कुमार

